

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

कार्यवाहक निदेशक,
विद्युत सुरक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।



ऊर्जा अनुभाग-३

लखनऊ : दिनांक: २१ फरवरी, २०१९

विषय :- विद्युत दुर्घटनाओं में जनहानि के प्रकरणों में शीघ्रता से जांच कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

दिनांक २० फरवरी, २०१९ को विधान परिषद में एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में मा० ऊर्जा मंत्री जी द्वारा मा० सदन को अवगत कराया गया कि ऊर्जा विभाग द्वारा ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि विद्युतीय दुर्घटनाओं के उन मामलों में जहाँ जनहानि हुई है वहाँ आवश्यक जाँच कराने के उपरान्त पात्र पाए गए मामलों में निर्धारित मुआवजे की धनराशि सम्बन्धित हितकारी को दुर्घटना के दिनांक से अधिकतम ४५ दिन में वितरित कर दी जाएगी।

२- उपरोक्त के दृष्टिगत कृपया आप यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि विद्युतीय दुर्घटनाओं में जनहानि के प्रकरणों में विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा की जाने वाली जाँच की कार्यवाही अधिकतम १८ दिवसों में कराकर संस्तुति सहित जाँच आख्या सम्बन्धित विद्युत वितरण खण्ड के अधिशासी अभियन्ता को अवश्य ही प्रेषित कर दी जाये और अनुश्रवण के लिए जाँच आख्या की प्रतिलिपि सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता व क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता को भी भेजी जाये।

३- कृपया उपरोक्त का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित कराये और यदि कोई विलम्ब का मामला प्रकाश में आता है तो इसके लिए विद्युत सुरक्षा निदेशालय के सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये

No. 1586 /MDCAMP/dated 2/3/19

भवदीय,

SE-2 (आलोक कुमार)
PO प्रमुख सचिव।

मु. अ. नि. (प्रशा.)

Director (P & A)	✓
Director (Comm)	
Director (Finance)	
Director (Technical)	
Staff Officer	
Dy. Leagut Officer	
Personal Officer	✓
G. M. Finance	
M.D.	


Pl issue a wide circular and placed on web site also.

MD,

संख्या- 429 / चौबिस-पी-3-2019, तदिदनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, पश्चिमान्चल-मेरठ / मध्यान्चल-लखनऊ / पूर्वान्चल-वाराणसी / दक्षिणान्चल-आगरा एवं केस्को, कानपुर।
- 3- निजी सचिव, मा० ऊर्जा मंत्री जी।

आज्ञा से,

(इन्द्र राज सिंह)
विशेष सचिव।